मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1045/1125130/2026/20–1 भोपाल दिनांक 06/06/2026

प्रति,

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म0प्र0 भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म0प्र0।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म0प्र0।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषयः– राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष–2026 ।

––0––

प्रदेश में राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण हेतु विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष–2026 संलग्नानुसार निर्धारित की गई है। विभागीय स्थानांतरण नीति के अनुरूप समय–सीमा में निर्देशानुसार कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जाए।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Manjusha 06.06.26
(मंजूषा विक्रांत राय)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल दिनांक 06/06/2026

पृ.क्रमांक 1046/1125130/2026/20–1

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, मान. मुख्यमंत्री, कार्यालय म0प्र0 भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म0प्र0 मंत्रालय वल्लभ, भवन भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
6. आयुक्त, जनसंपर्क म0प्र0 बाणगंगा, भोपाल।
7. तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म0प्र0 भोपाल।
8. आर्डर बुक।

Manju
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

: अधिसूचना :

क्रमांक एफ 01-09/2022/20-1 **भोपाल, दिनांक06/06/2026**

:: विभागीय स्थानांतरण नीति –2026 ::

1.1 **भूमिका एवं उद्देश्य-** शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों से जनित आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह विभागीय नवीन स्थानांतरण नीति तैयार की गई है। शिक्षण सत्र प्रतिवर्ष एक निश्चित समय पर प्रारंभ होता है, अतः इस नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालयों में शिक्षकों की युक्तियुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से इस नीति को पृथक रखा गया है क्योंकि शिक्षण सत्र के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया संचालित होने से विद्यालयों में पठन-पाठन की अपूर्णीय क्षति होती है। इस नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि के पूर्व निश्चित कालखण्ड में किये जायेंगे ताकि सत्र प्रारंभ होने पर पठन-पाठन सुचारू ढंग से संपादित हो सके। इस नीति का अन्य प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों की आवश्यकता के आधार पर समानता पूर्ण ढंग से शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रयोजन करना है ।

1.2 **परिभाषायें** : इस अधिसूचना में जब तक कि, सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

क. शैक्षणिक सत्र- शैक्षणिक सत्र से अभिप्रेत है, कोई कालावधि जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट की जाए।

ख. शिक्षक- विभागीय भर्ती नियम 1973, 2016 एवं 2018 तथा समय समय पर उक्त नियमों में यथा संशोधन के तहत नियुक्त एवं कार्यरत विभिन्न संवर्ग के शिक्षक।

ग. शहरी क्षेत्र- मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथा अधिसूचित शहरी क्षेत्र।

घ. ग्रामीण क्षेत्र- मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र।

ङ. विभाग- मध्यप्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग।

च. गंभीर बीमारी- गंभीर बीमारी से अभिप्रेत है कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलेसिस करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी/ बायपास सर्जरी एवं लकवा (पेरालायसिस) से पीड़ित जिसका प्रमाणीकरण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा उसी सत्र में किया गया हो।

छ. परिवार- परिवार से अभिप्रेत है कि पति, पत्नी और आश्रित बच्चे।

ज. पोर्टल- पोर्टल से आशय है कि स्कूल शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल।

झ. स्थाई दिव्यांगता - स्थाई दिव्यांगता से अभिप्रेत है कि आर.पी.डब्लयु.डी. एक्ट 2016 के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक स्थाई दिव्यांगता जो जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित हो।

ञ. जिला संवर्ग- जिला संवर्ग से अभिप्रेत है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (खेलकूद), प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन), प्राथमिक शिक्षक नृत्य, प्राथमिक शिक्षक आई.टी.।

ट. संभागीय संवर्ग- संभागीय संवर्ग से अभिप्रेत है कि प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन), माध्यमिक शिक्षक आई.टी.।

ठ. राज्य संवर्ग- राज्य संवर्ग से अभिप्रेत है कि व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राचार्य हाई स्कूल, प्राचार्य हायर सेकेण्डरी स्कूल।

ड. विशिष्ट विद्यालय - विशिष्ट विद्यालय से अभिप्रेत है कि विभाग अंतर्गत संचालित विशिष्ट विद्यालय यथा जिला उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय, सांदिपनी विद्यालय तथा पीएम श्री विद्यालय।

ढ. नियमित ई-अटेंडेंस – सत्र के कार्य दिवसो के आधार पर 90 प्रतिशत ई- अटेंडेंस को नियमित उपस्थिति माना जाएगा। इसमें अवकाश अवधि सम्मिलित होगी।

2. <u>स्थानांतरण नीति के विशेष उपबंध /प्रमुख प्रावधान:-</u>

2.1 इस स्थानांतरण नीति के प्रभावी होने के उपरांत आगामी वर्षों में वर्ष विशेष के लिए पृथक स्थानांतरण नीति जारी नही की जाएगी। यद्यपि आवश्यक होने पर वर्तमान नीति में आवश्यक संशोधन मंत्रि-परिषद के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

2.2 शिक्षक सहित समस्त संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया प्रतिवर्ष 15 मई तक की समयावधि में पूर्ण की जाएगी, समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

तालिका क्र.1

क्र.	विवरण	समय सीमा	दायित्व
1	वर्तमान सत्र के नामांकन के आधार पर पोर्टल पर स्वीकृत पदों की संख्या/ सेटअप का निर्धारण करना एवं अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन	31 अक्टूबर तक	आयुक्त, लोक शिक्षण
2	समस्त लोक सेवकों द्वारा व्यक्तिगत एवं पदस्थापना संबंधी जानकारी अद्यतन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना।	31 दिसम्बर तक	संबंधित लोक सेवक
3	एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक लोक सेवक की व्यक्तिगत व पदस्थापना संबंधी जानकारी अद्यतन करना।	31 जनवरी तक	समस्त कार्यालय प्रमुख/संकुल प्राचार्य की अनुसंशा पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा
4	पोर्टल पर :- 1. प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन - अ- जिला संवर्ग ब- संभाग एवं राज्य संवर्ग 2. क्र.1 में प्राप्त आवेदन पश्चात शेष रिक्त पदों को प्रदर्शित करने हेतु पोर्टल अपडेट करना 3. स्वैच्छिक आवेदन	01 से 20 मार्च 21 से 24 मार्च 25 मार्च से 15 अप्रैल	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से) आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा (विभागीय मंत्री के अनुमोदन से) लोक शिक्षण संचालनालय

Manjhe

5	ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी कर लोक सेवकों को मोबाइल एप पर उपलब्ध कराना:- I. जिला संवर्ग- जिला अंतर्गत : अ- प्रशासकीय ब- स्वैच्छिक II. संभागीय संवर्ग - संभाग अंतर्गत - अ- प्रशासकीय ब- स्वैच्छिक III. राज्य संवर्ग तथा उपरोक्त I एवं II को छोडकर शेष- राज्य अंतर्गत: अ- प्रशासकीय ब- स्वैच्छिक	30 अप्रैल तक	प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत संभागीय संयुक्त संचालक विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण
6	कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण कराना	15 मई तक	समस्त कार्यालय प्रमुख/संकुल प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी/ संभागीय संयुक्त संचालक/आयुक्त लोक शिक्षण

2.2.1 वर्ष 2026 हेतु प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की समय सारणी संलग्नक **01** अनुसार होगी। स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने की अंतिम तिथि की सीमा मे, स्थानांतरण नीति के तहत कैलेंडर की तिथियों में आंशिक बदलाव किए जाने हेतु विभाग सक्षम होगा।

2.3 प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण प्राथमिकता पर किये जायेंगे। प्रशासकीय स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाऐंगे।

2.4 समस्त स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश कंडिका 2.2 अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जारी किए जाएगे एवं विभागीय मोबाइल एप पर संबंधितों को उपलब्ध होंगे। भारमुक्ति और पदभार ग्रहण संबंधी कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी।

2.5 संभाग अंतर्गत उसी संभाग के अंदर पदोन्नती पदों पर स्थानांतरण किया जा सकेगा किन्तु संभागीय शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर अन्य संभाग संवर्ग के शिक्षकों को स्थानान्तरित कर पदस्थ नहीं किया जाएगा।

2.6 जिला अंतर्गत लिपिकीय संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अन्य जिले में पदस्थ लिपिकों के स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना उस जिले में संबंधित लिपिक संवर्ग के सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पदों की संख्या की सीमा तक ही की जाएगी। जिले की किन्हीं संस्था विशेष में रिक्त पद के आधार पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

2.7 संभाग/जिला अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अन्य संभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना उस संभाग/जिले में संबंधित शिक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पदों की संख्या की सीमा तक ही की जाएगी। संभाग/जिले की किन्हीं संस्था विशेष में रिक्त पद के आधार पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

2.8 ऐसे जिले जहां संवर्ग विशेष में 70 प्रतिशत से कम पद भरे हुए है, उन जिलों में उक्त संवर्ग विशेष के शिक्षकों को 70 प्रतिशत से कम रिक्तता वाले जिलों में, अन्य जिलों से समान संवर्ग के शिक्षकों की पूर्ति होने एवं विशेष परिस्थिति के प्रकरणों में स्थानांतरण किया जा सकेगा । ऐसे जिले जहां संवर्ग विशेष में 70 प्रतिशत से अधिक पद भरे हुए है से इन जिलों में स्थानांतरण किए जा सकेगे।

2.9 विभाग द्वारा जारी एवं तत्समय प्रचलित पद संरचना के आधार पर संस्थावार सेटअप निर्धारित किया जाकर पोर्टल पर प्रदर्शित होगा । प्रतिवर्ष 30 सितम्बर की स्थिति में नामांकन अथवा विषयवार नामांकन जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर सेटअप की समीक्षा आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा की जाएगी। सामान्यत: शैक्षणिक संस्थाओं/कार्यालयों के सेटअप को प्रतिवर्ष पुनरीक्षित किया जाएगा।

2.10 संचालनालय द्वारा विद्यार्थियों के हित एवं प्रशासकीय कारणों से क्षेत्र विशेष के रिक्त पदों को चिन्हित कर स्थानांतरण हेतु अवरुद्ध (ब्लॉक) किया जा सकेगा।

2.11 आयुक्त, लोक शिक्षण के अधीन विभिन्न संवर्गों में कार्यरत शिक्षकों, प्राचार्यों तथा अधिकारियों को विभागांतर्गत अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालयों/मंडल/निगम में संबंधित विभागाध्यक्ष /मण्डल /निगम की मांग के आधार पर किसी पद विशेष पर स्थानांतरण के माध्यम से आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा। ऐसी पदस्थापना को प्रतिनियुक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस श्रेणी के पदस्थापना के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/मण्डल/निगम कार्यालय द्वारा पदस्थापना हेतु आवश्यक शर्तों एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। पदस्थ होने वाले लोक सेवकों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान संबंधित विभागाध्यक्ष/मंडल/निगम द्वारा किया जायेगा।

2.12 विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों/प्राचार्यों को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नही किया जाएगा।

3. <u>स्थानांतरण प्रक्रिया-</u>

3.1 अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं स्थानांतरण-

शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या व विषयमान से, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित सेटअप से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अतिशेष श्रेणी में चिन्हित किया जायेगा। संस्थाओं में अतिशेष की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित रहेगी। अतिशेष शिक्षकों को समरूप पदों पर शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य विभागीय कार्यालयों/संस्थाओं में निर्धारित सेटअप से अधिक पदस्थ अतिशेष लोक सेवकों को अन्य कार्यालयों/संस्थाओं में रिक्त समरूप पदों पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाएगा।

3.1.1 अतिशेष शिक्षकों को छात्रहित में अकादमिक सत्र के मध्य में किसी भी समय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिग के माध्यम से संचालनालय के निर्देशन में नियोक्ता के स्तर से स्थानांतरित किया जा सकेगा। जिन शिक्षकों द्वारा काउंसलिग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाएगा उन शिक्षकों का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर किया जाएगा। Mayank

3.1.2 संख्या अथवा विषयमान से, जैसे भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन, पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जायेगा। तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज्यादा समय से कार्यरत है वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। किन्तु ऐसे शिक्षक जो विगत दो वर्ष की कालावधि में उक्त संस्था में स्थानांतरित होकर पदस्थ हैं एवं शाला में अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है तो ऐसे शिक्षक जो दो वर्ष की समय सीमा में पदस्थ हुए है, अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित किए जाऐगे। विषयमान से उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक एवं मूल पद पर कार्यरत शिक्षक में से उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित किए जाऐगे।

3.1.3 अतिशेष शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की भांति ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेंगे। अतिशेष शिक्षकों को संलग्नक-**02** अनुसार स्थानांतरण हेतु वरीयता प्राप्त होगी।

3.1.4 ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है, 40% या उससे अधिक निशक्तता है अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, को अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में कंडिका 3.1.1 अनुसार अगले क्रम पर उपलब्ध वरिष्ठ शिक्षक का स्थानांतरण किया जायेगा किन्तु संबंधित शाला में पद संरचना अनुसार पद स्वीकृत न होने पर संबंधित शिक्षक अतिशेष श्रेणी में चिन्हित किए जाऐगे।

3.1.5 ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया अथवा उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन वरीयता क्रम में न आने से असफल हो गया है, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाली संस्थाओं में किया जाएगा ।

3.1.6 प्रतिबंध अवधि में भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर अतिशेष शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण शिक्षकों की कमी वाली संस्थाओं में किए जा सकेंगे।

3.1.7 अध्यापक/शिक्षाकर्मी/संविदा शिक्षक/ गुरूजी जैसी भी स्थिति हो, यदि उनकी नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई है, उनको अतिशेष घोषित कर अन्यत्र पदस्थ नही किया जायेगा, चूँकि ऐसे लोकसेवकों की नियुक्ति संस्था विशेष के लिए की गयी है। शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ ऐसे शिक्षको को उसी निकाय की अन्य शाला में पदस्थ किया जा सकेगा।

3.2 प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण –

3.2.1 शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन, गंभीर शिकायतों अथवा शिकायत में दोष सिद्ध पाए जाने के दृष्टिगत, गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्था/शाला प्रमुखों द्वारा की गयी अनुशंसा पर तथा प्रशासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत अपरिहार्य स्थिति में प्रशासनिक आधार पर रिक्त पदों पर स्थानांतरण किये जा सकेंगे ।

3.2.2 संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखा जाकर ही प्रशासनिक स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना की जाएगी।

3.2.3 प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन न होने पाए। शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण उनके संवर्ग के अंतर्गत ही किए जाएगे।

3.2.4 कार्य सुविधा के दृष्टिगत प्रशासनिक आधार पर विशिष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों का आपसी स्थानांतरण संबंधित विद्यालयों के अंतर्गत किया जा सकेगा।

3.2.5 प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेगे :-

क्रमांक	पद/संवर्ग की संख्या	अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1	200 तक	20 %
2	201 से 1000 तक	40 +[(कुल पद - 200)X15/100]
3	1001 से 2000 तक	160+(कुल पद - 1000)X10/100]
4	2001 से अधिक	260+(कुल पद - 2000)X5/100]

3.2.6 मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक **01/05/2026** के पूर्व प्राप्त स्थानांतरण के सभी लंबित **A+** संदर्भो पद दिनांक 31/05/2026 तक कार्यवाही पूर्ण कर पोर्टल पर अनिवार्यत: की जाए।

3.2.7 संदर्भ **A+** के पालन में किये जाने वाले स्थानांतरण विभागों के निर्धारित स्थानांतरण प्रतिशत/संख्या के अतिरिक्त होगें।

3.2.8 केवल निम्न श्रेणी के स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागो के निर्धारित स्थानांतरण प्रतिशत/संख्या के अतिरिक्त होंगे –

(1) पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने की नीति के अंतर्गत किये जाने वाले स्थानांतरण।

(2) स्वयं की गंभीर बीमारी के कारण किये जाने वाले स्थानांतरण।

3.3 स्वैच्छिक स्थानांतरण-

3.3.1 स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नही होगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऐसे लोक सेवक पात्र होगे जिनके द्वारा नियमित ई-अटेण्डेंस लगाई जा रही हो। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई-अटेंडेंस लगाने वाले लोकसेवक स्वैच्छिक स्थानांतरण वर्ष 2026 में पात्र होगें । आगामी वर्षो में सम्पूर्ण सत्र की ई-अटेंडेंस के आधार पर पात्रता होगी। संबंधित लोकसेवक द्वारा अपनी यूनिक **id** पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण आवेदन में दी गयी जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा करना अनिवार्य होगा।

3.3.2 स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता/वरीयता का क्रम संलग्नक-**02** अनुसार होगा।

3.3.3 पात्र आवेदकों को संलग्नक-**02** में निर्धारित प्राथमिकता/वरीयता के आधार पर उनके द्वारा दर्ज की गई संस्थाओं के वरीयता क्रम में उपलब्धतानुसार रिक्त पद पर बगैर मानवीय हस्तक्षेप के पोर्टल के माध्यम से शालाओं का ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा । शाला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट होने के कारण आवंटन सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन/ परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ऑनलाइन जनरेटेड सूची पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएगे।

3.3.4 स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक (आपसी) स्थानांतरण भी ऑनलाइन हो सकेंगें इसके लिए समान पद और समान विषय, समान केडर एवं समान संवर्ग होना अनिवार्य होगा । एक वर्ष से कम समायावधि में सेवानिवृत्त होने वाले एवं परिवीक्षाधीन लोक सेवकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

3.3.5 विभाग अंतर्गत संचालित विशिष्ट विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित शिक्षकों/प्राचार्यों तथा नवनियुक्ति परिवीक्षाधीन शिक्षकों को नियुक्ति/ स्थानांतरण कर उक्त विधालयों में पदस्थापना संबंधित के संवर्ग एवं काडर में ही की जा सकेगी।

Manjesh

उक्त के अतिरिक्त परिवीक्षाधीन शिक्षकों का स्थानांतरण अन्य किसी जिले/संस्था में नहीं किया जाऐगा।

3.3.6 सहायक संचालक एवं वरिष्ठ पदों पर कार्यरत अधिकारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन नियत अवधि में स्वीकार्य होंगे। आवेदनों का निराकरण आवश्यकतानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में किया जाऐगा।

3.3.7 यदि स्थानांतरण गंभीर बीमारी, नि:शक्तता, पत्नी/पति के सेवा कार्यस्थान पर तथा विधवा अथवा परित्यक्ता/विधुर श्रेणी में वरीयता के आधार पर किया गया है और इस संबंध में यदि यह पाया जाता है कि संबंधित आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर पोर्टल पर वरीयता/पात्रता प्राप्त की गयी है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं उनका स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जाएगा।

3.3.8 स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के पश्चात् आगामी 03 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोडकर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.3.9 संवर्ग से बाहर अन्य जिले अथवा संभाग में स्थानांतरण मात्र स्वैच्छिक आधार पर होगें, ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक शिक्षक की वरिष्ठता नवीन पदस्थापना वाले जिले/संभाग में उनके संवर्ग में निम्नतम स्थान पर मान्य होगी। जिला अथवा संभाग से बाहर स्वैच्छिक स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकेगे।

स्वैच्छिक स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न हो जाए।

3.4 प्रतिबन्ध अवधि में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण-

3.4.1 प्रतिबन्ध की अवधि, कंडिका 2.2 में उल्लेखित संवर्ग विशेष के लिए स्थानांतरण की शिथिलता अवधि को छोड़कर होगी।

3.4.2 प्रतिबन्ध अवधि में प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन, गंभीर शिकायतों में दोष सिद्ध पाए जाने के दृष्टिगत तथा अतिशेष की स्थिति होने पर अपरिहार्य स्थिति में विभागाध्यक्ष के स्तर से पदस्थापना की जाऐगी।

3.4.3 प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में प्राचार्य संवर्ग एवं उससे कनिष्ठ पदों के लिए पदस्थापना आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा तथा शेष वरिष्ठ पदों के लिए शासन स्तर से पदस्थापना आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत जारी किए जाएगे।

3.4.4 प्रतिबंध अवधि में द्वितीय श्रेणी (शैक्षणिक संवर्ग को छोडकर) के अधिकारियों के प्रकरणों में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत तथा प्रथम श्रेणी अधिकारियों के प्रकरणों में समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएगे।

4. कंडिका क्रमांक 2.5 से 2.8 एवं 2.11, 3.1.3, 3.3.4 , 3.3.8 में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में पोर्टल पर प्रतिबंधात्मक व्यवस्था की जाएगी।

5. <u>स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें-</u>

5.1 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है तो ऐसे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का सामान्यतः प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किया जायेगा।

5.2 कमीशन प्राप्त एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. से संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण करते समय सामान्यत: उन स्थानों पर इन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाऐगा जहाँ एन.सी.सी./एन.एस.एस. की संबंधित इकाई संचालित हो, किन्तु विषयमान से अतिशेष की स्थिति में संबंधित को अन्यत्र पदस्थ किया जा सकेगा।

5.3 सहायक संचालक संवर्ग एवं उनसे वरिष्ठ संवर्ग के लोकसेवकों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ नही किया जाएगा,

Manish

किन्तु अविवाहित, विधवा, गंभीर बीमारी से पीड़ित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं एवं पति-पत्नि की गंभीर बीमारी के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा।

5.4 राज्य शासन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश /संभाग/ जिला/ तहसील/ विकासखण्ड शाखा के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नीति एवं निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

5.5 एक ही मुख्यालय में स्थित एक कार्यालय/संस्था से दूसरे कार्यालय/संस्था में किया गया स्थानांतरण स्थानीय व्यवस्था है, इसे स्थानांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं किया जायेगा। एक ही मुख्यालय की एक शाला से दूसरी शाला / कार्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जाऐगा।

6. **वेतन आहरण:-**स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिये पूर्वोक्त कण्डिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से आहरित नही की जायेगा। यदि इसके विपरीत उसी संस्था से वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को प्रेषित किए जायेंगे एवं इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी। इसके लिये कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

7. **अवकाश स्वीकृति:-**कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश का निराकरण नियुक्तिकर्ता कार्यालय के अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही सक्षम अधिकारी द्वारा निराकृत किया जाएगा।

8. **पालन न होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही:-** स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से पालन नही करने, बिना पूर्व अनुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

9. **स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन-**

9.1 जिला, संभाग अथवा राज्य स्तर से किये गये स्थानांतरण से व्यथित होने पर संबंधित लोकसेवक द्वारा उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन संबंधित जारीकर्ता अधिकारी को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 07 दिवस की समयावधि में दर्ज कराया जा सकेगा। प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण संबंधित जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

9.2 स्थानांतरण से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में नीति के अनुक्रम में प्रकरणों का निराकरण कर यथोचित कार्यवाही जारीकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

06.06.26
(मंजूषा विक्रांत राय)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

संलग्नक – 01

स्कूल शिक्षा विभाग

सत्र 2026-27 हेतु प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण समय सारणी

क्र	विवरण	समय सीमा
1.	**प्रशासनिक स्थानांतरण प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन**	
	— अंतर्जिला	8 से 15 जून
	— जिला कॉडर	8 से 17 जून
	— संभाग एवं राज्य कॉडर	8 से 17 जून
2.	स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु रिक्त पदों को प्रदर्शित करने हेतु पोर्टल अपडेट करना	18 जून
3.	स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन	19 से 23 जून
4.	स्थानांतरण हेतु डाटा प्रोसेसिंग एवं प्रशासकीय अनुमोदन	24 से 26 जून
5.	आदेश जारी करना	28 से 30 जून
6.	भारमुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही	30 जून से 06 जुलाई
7.	लोकसेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत करना	01 जुलाई से 07 जुलाई
8.	अभ्यावेदन का निराकरण	15 जुलाई तक

संलग्नक- 02

स्थानांतरण में वरीयता का क्रम

वरीयता क्रम	शिक्षक संवर्ग के महिला / पुरूष	स्थानांतरण में वरीयता क्रम का क्रमानुसार विवरण
1	महिला/ पुरुष	स्थानांतरण सत्र से पहले सत्र की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वी की बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य और समस्त शैक्षणिक अमला। (कक्षा 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 40 छात्रों का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा)
2	महिला वर्ग	अतिशेष शिक्षक।
3	पुरूष वर्ग	अतिशेष शिक्षक।
4	महिला वर्ग	स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीडित होने की स्थिति में।
5	पुरूष वर्ग	स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीडित होने की स्थिति में।
6	महिला/ पुरुष	विवाह के कारण पत्नी/पति के सेवा कार्यस्थान पर स्थानांतरण
7	महिला वर्ग	निःशक्त श्रेणीं
8	पुरूष वर्ग	निःशक्त श्रेणीं
9	महिला/ पुरुष	विधवा अथवा परित्यक्ता/विधुर
10	महिला वर्ग	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
11	पुरूष वर्ग	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
12	महिला वर्ग	राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
13	पुरूष वर्ग	राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
14	महिला वर्ग	एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक (सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) को वरीयता दी जाएगी।
15	पुरूष वर्ग	एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक (सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) को वरीयता दी जाएगी।

नोट:- लोक सेवक के पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, की मृत्यु होने पर स्थानांतरण में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। यह वरीयता घटना के 02 वर्ष के भीतर एक बार ही दी जाएगी।